



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकदुर

विकासखंड - पण्डरिया, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

" न हि ज्ञानेन सद्गुरुं पवित्रमिह विद्यते " Email - kuikukdurcollege@gmail.com Website - www.gnckuikukdur.org

क्रमांक 536/स्था./2026

कुई-कुकदुर, दिनांक - 23.09.2026

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक - 3 इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ क्रमांक ESTB-2035/637/2026 RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2026 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई-कुकदुर, जिला कबीरधाम (छ.ग.) में अंग्रेजी विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 30.09.2026 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक एवं वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा - अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण :

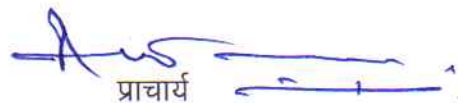
स.क्र.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या			
		प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1	अंग्रेजी	—	01	—	—

टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति /नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्त :-

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 वी, 12 वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी-एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 30.09.2026 सायं 05:30 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं।

3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 05.10.2026 को महाविद्यालय सूचना पटल एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://www.gnckuikukdur.org> पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम मेरिट सूची में दावा आपत्ति दिनांक 06.10.2026 तक होगी।
6. अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07.10.2026 को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट <https://www.gnckuikukdur.org> में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दिशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगी।
10. मानदेय :-
अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :-
 - अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/- प्रति कार्य दिवस(प्रतिमाह अधिकतम 50000/-)
 - अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी 1600/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40000/-)
 - अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35000/-)
11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई-कुकदुर जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन कोड - 491559 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक - सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान के इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आन्तरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है जो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकदुर
तह0 पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 537/स्था./2026

कुई-कुकदुर , दिनांक - 23.09.2026

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी - 3 द्वितीय एवं तृतीय मंजील, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय को सूचनार्थ।



प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकदुर
तह0 पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)